T.S - 46/15

SJ - III, Bagaha

07.11.19 वादी के अधिवक्ता की हाजिरी है। प्रतिवादी सं०-2 के अधिवक्ता की हाजिरी है।

वाद पुकार पर उभय पक्ष उपस्थित हुए।
आवेदन 26-R-9 पर उभय पक्षों को सुना।
वाद दिनांक 21.11.19 को आदेश।

ह०

SJ - III

21.11.19 वादी के अधिवक्ता की हाजिरी है। प्रतिवादी अनुपस्थित हैं।
अभिलेख प्रतिवादी सं०-2 के आवेदन आदेश 26 नियम 9 दिनांक 17.12.18 एवं उसके प्रतिउत्तर दिनांक 25.04.19 पर आदेशार्थ हेतु आज ही प्रस्तुत हुआ।

प्रतिवादी सं०-2 अपने आवेदन में कहते हैं कि वादी ने यह वाद, वाद भूमि पर उसका दखल कब्जा घोषित करने के साथ स्थाई निषेधाज्ञा के लिए लाए हैं। प्रतिवादी सं०-(1) अपना W.S दाखिल नहीं किए हैं तथा वादी के साथ सुलह कर लिए हैं जबकि प्रतिवादी सं०-2 अपना W.S दाखिल किए हैं। उक्त प्रतिवादी द्वारा अपने W.S के साथ counter claim भी दाखिल किए हैं। वाद भूमि पर वादी द्वारा दखल हेतु दावा किया गया है जबकि उक्त भूमि पर प्रतिवादी सं०-2 का कब्जा है। विवादित भूमि सुगर मिल के बगल में है। प्रतिवादी सं०-2 वाद भूमि पर बेदखल होने का विरोध किए हैं। इस कारण वाद भूमि का भौतिक जाँच प्रतिवेदन न्यायहित में अत्यंत जरूरी है। प्रतिवादी सं०-2 अधिवक्ता आयुक्त का खर्च देने के लिए तैयार है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रतिवादी सं०-2 का आवेदन स्वीकृत करते हुए अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने की कृपा करें।

वादी अपने प्रतिउत्तर में कहते हैं कि प्रतिवादी सं०-2 का आवेदन तथ्य एवं विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है तथा खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन अस्पष्ट है तथा जाँच किए जाने वाले भूमि का विवरण भी नहीं दिया गया है। उक्त प्रतिवादी अधिवक्ता आयुक्त के माध्यम से अवांछनीय साक्ष्य संग्रह करना चाहते हैं। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि प्रतिवादी सं०-2 का आवेदन दिनांक 17.12.18 खारिज करने की कृपा करें।

cont.

T.S - 46/15

SJ - III, Bagaha

लगातार

21.11.19

अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह विदित होता है कि वादी ने यह वाद, वाद भूमि पर वादी के पक्ष में दखल कब्जा घोषित करने के साथ स्थाई निषेधाज्ञा हेतु संस्थित किया है। वाद भूमि का भौतिक सत्यापन तथा जाँच प्रतिवेदन न्यायहित में आवश्यक है। प्रतिवादी सं०-2 अधिवक्ता आयुक्त का खर्च वहन करने के लिए तैयार है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं०-(2) का आवेदन आदेश 26 नियम 9, दिनांक 17.12.18 प्रतिवादी सं०-(2) के खर्च पर स्वीकृत किया जाता है। श्री अरविन्द सिंह, अधिवक्ता को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें निर्देश दिया जाता है कि 10 दिनों के अंदर वाद भूमि का स्थल निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन फोटोग्राफ के साथ न्यायालय को समर्पित करें।

वाद दिनांक 08.12.19 ... वास्ते प्रतिवादी सं०-(2) अधिवक्ता आयुक्त का खर्च कुल 15000 रू० तथा रिट सामग्री दाखिल करें।

लं०(प०

SJ - III